भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10072023-247199 SG-DL-E-10072023-247199

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2023/आषाद्ध 16, 1945

[रा रा रा क्षे.दि सं. 138

No. 221]

DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2023/ASHADHA 16, 1945

[N. C. T. D. No. 138

भाग IV PART IV.

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, ७ जुलाई, २०२३

फा. सं. 08(81) / प्रशा. / म.बा.वि. / आर.आर. अन्वेषक / 22.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27 / 59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "अन्वेषक" के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए नियम बनाते है, अर्थान् :—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को 'महिला एवं बाल विकास विभाग, ''अन्वेषक'' भर्ती निरुमावली, 2023 कहा जायेगा;
 - (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लाग होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :--उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :-वह व्यक्ति,

- जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है. तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचावः—इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| 1. | पद नाम | : | "अन्वेषक" |
|-----|---|---|---|
| 2. | पदों की संख्या | : | 10*(2023) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर |
| 3. | वर्गीकरण | : | सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिर्काय |
| 4. | वेतन मैद्रिक्स मेंस्तर | : | वेतन मैट्रिक्स में स्तर—2, (19900—63200 / —रुपये) |
| 5. | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद | : | लागू नहीं |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | | 18 एवं 25 वर्ष के बीच* *यदि पद अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाते हैं ते आयु सीमा 18 वर्ष एवं 27 वर्ष के बीच होगी। टीप— 1 केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों य आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आय् सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय है। |
| | | | टीप— 2 आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि दिल्लं अधीनस्थ सेवा चयनबोर्ड/सक्षम प्राधिकार द्वारा यशा विज्ञाप्ति होगी । |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं | : | अनिवार्यः— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / स्रस्थान से 12वीं कक्ष उत्तीर्ण । (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की अथव हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति । |
| | | | टीप—अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवार के मामले में योग्यताएं सक्षा प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं । |
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाल उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | : | लागू नहीं । |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | : | दो वर्ष टीप—परिवीक्षा की पूर्णता के लिए कम सं कम दो सप्ताह क प्रेरक प्रशिक्षण अथवा संवर्ग प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्धारित आवश्यक है। |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्भे भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | | सीधी भर्ती द्वारा टीप— ''पदधारी के प्रति नियुक्ति पर या लर्म्ब' बीमारी या अध्यय अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्ब अविध के लिये कार्य से 'अलग रहने के कारण रिक्त पद क |

| 1 | | f | | |
|--|-----|--|---|--|
| | | | | प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से भरा जा सकता है। |
| | / | | | (क) नियमित आधार पर समरूप पदधारी; तथा |
| al de la constitución de la cons | | | | (ख) कॉलम ७ के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले । |
| / | / | | | (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) |
| | 11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिन से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है | • | लागू नहीं । |
| | 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है। | : | समूह • ''ग'' विभागीय पदोन्नित समिति / विभागीय स्थाईकरण समिति) स्थाईकरण हेतु |
| | | | 1 | (i) प्रधान सचिव / सचिव (प्रशासनिक सुधार — अध्यक्ष (ii) निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग —सदस्य (iii) उप—सचिव (सा.प्र.वि.), —सदस्य विभागीय स्थाईकरण समिति के अधिसूचित अध्यक्ष के समिति के अन्य सदस्य के कनिष्ठ होने की स्थिति में विभागीय स्थाई करण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करगा । |
| | 13. | वे परिस्थितियाँ जिन में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | : | लागू नहीं |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कृष्ण कुमार, विशेष सचिव-सह-निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2023

- **F. No. 08(81)/Admn/WCD/RR for Investigator/22.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him. (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of 'Investigator' in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely: -
- 1. Short title and commencement: (i) These rules may be called the 'Department of Women and Child Development, Investigator, Recruitment Rules, 2023'.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of Posts, Classification and level in the pay matrix: The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc: The method of recruitment to the said posts age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification: No person:-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

ovided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law se to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any from the operation of this rule.

owers to relax: - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an der and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post. | Number of posts. | Classification. | Level in the pay matrix. | Whether selection or non- selection post. | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualification required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees. |
|-------------------|---|--|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investigator | *Subject to variation dependent on work load. | General Central Service, Group- 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial, | Level – 2 in the Pay Matrix (Rs. 19900- 63200/-) | Not Applicable | * In case of post being filled up by All-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years. Note 1: The upper-age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. | ESSENTIAL (i) 12 th pass from a recognized Board/Institution (ii) A typing Speed of 35 w.p.m in English or 30 w.p.m in Hindi on Computer Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. | Not Applicable |

| Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is ats composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. | |
|---|---|--|--|--|--|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Two years Note: Induction Training of at least 2 | By Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Government/ UTs:- (a) Holding analogous post on regular basis; and | | Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation: i) Pr. Secretary/ Secretary (AR). GNCT of Delhi —Chairman ii) Director, DWCD, GNCT of Delhi —Member iii) Dy. Secretary (GAD), | Not applicable. | |

| (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 7. (The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.) | Not applicable | GNCT of Delhi – Member Nofe:- Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in ease notified Chairperson happens to be juntor to another member of the Departmental Confirmation Committee. | |
|--|----------------|---|--|
|--|----------------|---|--|

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi,
KRISHAN KUMAR, Special Secy.-cum-Director